कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल याचिका संख्या 6548/2021 अर्चना शर्मा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.06.2021 द्वारा याचिकार्थी को अपनी पीडा व्यक्त करते हुए प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने और सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे विधि अनुसार, एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित करते हुए 6 सप्ताह के भीतर निस्तारित किये जाने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय न्यायालय निर्णय के अनुसरण में याचिकार्थी श्रीमती अर्चना शर्मा, प्रधानाचार्य राउमावि चूहड़पुर, तिजारा जिला अलवर द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपने ससुर के कैंसर रोग एवं सास के घुटनों की बीमारी से ग्रस्त होने के आधार पर अपना पदस्थापन राउमावि किंथुर, अलवर/राउमावि सोखला कलां, मुंडावर, अलवर/राउमावि खानपुर मेवान, किशनगढबास, अलवर/राउमावि गहनकर, नगर जिला भरतपुर/राउमावि अकबरपुर, उमरैण, अलवर/राउमावि नंगली मेघा, रामगढ, अलवर/राउमावि भैंसडावत, लक्ष्मणगढ जिला अलवर/राउमावि नसवारी, लक्ष्मणगढ जिला अलवर/राउमावि छिलोडी, रैणी जिला अलवर अथवा राउमावि खखावली, नगर जिला भरतपुर में प्रधानाचार्य के किसी पद पर किये जाने की मांग की गई।

याचिकार्थी के अभ्यावेदन का माननीय न्यायालय निर्णय एवं राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनसे सम्बन्धित अभिलेखों का अवलोकन किया गया। याचिकार्थी के अभिलेखों का निरीक्षण करने पर पाया गया कि माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में दायर एक अन्य अपील संख्या 3233/2019 में प्रार्थिया श्रीमती अर्चना शर्मा को नारायण केसा जी राजपुरोहित राउमावि बैरठ जिला जालौर से राउमावि चूहड़पुर, तिजारा जिला अलवर में प्रधानाचार्य पद पर पदस्थापित करके पूर्व में अनुतोष प्रदान किया जा चुका है। याचिकार्थी राज्य सेवा की अधिकारी हैं और इन्हें सरकार अथवा विभागाध्यक्ष द्वारा आवश्यकतानुसार राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता है। इसी अनुरूप याचिकार्थी श्रीमती अर्चना शर्मा, प्रधानाचार्य राउमावि चूहड़पुर, तिजारा जिला अलवर द्वारा की गई मांग स्वीकार्य नहीं होने के कारण उनका अभ्यावेदन एतद द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा–मा./संस्था/बी–2/एसबीसिया/अर्चना शर्मा/6548/2021 दिनांक: 27/07/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, अलवर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक अलवर।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जोधपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. श्रीमती अर्चना शर्मा, प्रधानाचार्य राउमावि चूहडपुर, तिजारा जिला अलवर।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)